उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-14/2015/डी/391/38-2-2015-20एल0सी0/2015
लखनऊ: दिनांक 04 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम् राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-04-2012 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section3(7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कार्मिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8 (क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गई है, उन्हें पदावनत कर दिया जाए। पदावनत कार्मिकों को वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिए वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से तब तक अनुमन्य करायी जाए, जब तक की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन, उसके बराबर न हो जाए, परन्तु इसके कारण वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ इन पदावनत कर्मियों को प्राप्त नहीं होगा और इस नियत वैयक्तिक वेतन के आधार पर समान वेतन दिए जाने की मांग अनारक्षित वर्ग) जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) क पदधारकों द्वारा इस आधार पर नहीं की जाएगी कि वे उनसे कनिष्ठ हैं।

(ख) वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर पर उन्हें पदावनत किया जाए।

3- कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 के अनुपालन में आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ के पत्रांक-जी0ओ0 415/स्था0-5/अभि0/2015 दिनांक 02-09-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत निम्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्मिक को उनसे कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हैं के स्तर तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदनाम	पद जिस पर पदावनत किया गया
1	2	3	4
01	श्री कमल	सहायक अभियन्ता, (निलम्बित) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सम्बद्ध आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय, लखनऊ।	अवर अभियन्ता

5- उपर्युक्त पदावनत कार्मिक को वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिए वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से तब तक अनुमन्य कराई जाए जब तक कि संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन, उनके बराबर न हो जाए, परन्तु इसके कारण वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ इन पदावनत कार्मिक को प्राप्त नहीं होगा और इस नियत वैयक्तिक वेतन के आधार पर समान वेतन दिए जाने की मांग अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर नहीं की जाएगी कि वे उनसे वरिष्ठ हैं।

अर्थात् पदावनत किए जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा तथा आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन बराबर होने तक पदावनत कार्मिक को पदावनत पद के वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि की धनराशि उसके वैयक्तिक वेतन में समायोजित होती रहेगी, अर्थात् पदावनत कार्मिक की कुल परिलब्धियां फ्रीज रहेंगी।

अर्थात् पदावनत किए जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक का वेतन आसन्न वरिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाएगा तथा पदावनत किए जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक एवं आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियों का जो अन्तर होगा, वह नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाएगा। यह वैयक्तिक वेतन प्रतिवर्ष अनुमन्य होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि में समायोजित होता जाएगा, अर्थात् वैयक्तिक वेतन उस सीमा तक कम होता रहेगा, जब तक कि आसन्न वरिष्ठ कार्मिक का वेतन तथा पदावनत कार्मिक का वेतन बराबर न हो जाए।

6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात् पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेंगे।

7- यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- (1)/38-2-2015 तद् दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री कमल (निलम्बित) सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पदावनत के उपरान्त अवर अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (सम्बद्ध) कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी, मऊ/मुख्य विकास अधिकारी, मऊ/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मऊ।

6- ग्राम्य विकास अनुभाग-3

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।